आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0.......01........./17–18

राज्य बनाम मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0–BR-21F-2331

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
26.6.18	अधीक्षक उत्पाद, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में वाद संख्या Misc 211/16 दिनांक–23.07.2016 बिहार उत्पाद अधिनियम 47 (a) में जप्त वाहन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-21F-2331 को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। अधीक्षक उत्पाद द्वारा बताया गया कि दिनांक–22.07.2016 को विद्यापति नगर, थाना व जिला–सहरसा के समीप पुलिस निरीक्षक, संजय कुमार सिंह, सदर थाना, सहरसा द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटर साईकिल अपाची आता हुआ दिखाई दिया तो उसे रोककर उक्त मोटर साईकिल रजि0 नं0–BR-21F-2331 को चेक किया तो उसके पैन्ट के पैकेट से 02 प्लास्टिक पुड़िया में लगभग 25 ग्राम गांजा बरामद हुआ। मोटर साईकिल चालक प्रणव कुमार पिता– गोपाल तिवारी, ग्राम–नरियार, थाना–सदर, जिला– सहरसा का है। प्रणव कुमार को अग्रतर कार्रवाई हेतु उत्पाद विभाग को सुपुर्द कर दिया गया। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जप्त वाहन का उपयोग अवैध गांजा के परिवहन में किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–99 विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित पूर्व में किए गए सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्त्तमान बिहार मद्य निषेध	

26.6.18

और उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रावधान भी लागु होगें और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किए जाऐगें ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।

सुनवाई की तय तिथि को विपक्षी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा अधीक्षक उत्पाद, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन चालक द्वारा वाहन का उपयोग गांजा के परिवहन में किया गया है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बावजूद जप्त वाहन से गांजा का परिवहन पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की तहत उक्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः इस वाद के अन्तर्गत जप्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-21F-2331 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–58 (2) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जप्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर बिक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को देगें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

26.6.18

समाहर्त्ता,
सहरसा।

26.6.18

समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहरणालय सहरसा
(जिला विधि शाखा)

ज्ञापांक 766-2 / विधि, दिनांक 03-06-17

प्रतिलिपि :– अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– मोटरयान निरीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.6.17

प्रभारी पदाधिकारी,
विधि शाखा, सहरसा।
26.5.17